न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 34/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00307

अपीलाण्ट्स :—

1. स्व. पांचीदेवी पुत्री भेराराम पत्नी रूपाराम के कायम मुकाम :—
   1/1. देवनारायण पटेल पुत्र रूपाराम
   1/2. शिवराम पुत्र रूपाराम
   1/3. खीमाराम पुत्र रूपाराम
   1/4. सीतादेवी पुत्री रूपाराम पत्नी भलाराम
   1/5. मोरीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी मांगीलाल
   1/6. सिणगारी पुत्री रूपाराम पत्नी रतनाराम
   1/7. मीरा पुत्री रूपाराम पत्नी हराराम
   तमाम जातियान पटेल, निवासीगण लूणी, जिला जोधपुर (राज.)
2. शिवली देवी पुत्री भैराराम पत्नी मांगीलाल के कायम मुकाम :—
   2/1. पोलाराम पुत्र मांगीलाल
   2/2. वेनाराम पुत्र मांगीलाल
   2/3. झमकु देवी पुत्री मांगीलाल
   2/4. ओमाराम पुत्र मांगीलाल
   2/5. सांवल राम पुत्र मांगी लाल
   2/6. हडमान राम पुत्र मांगी लाल
   तमाम जातियान पटेल, निवासी लूणी, जोधपुर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—

1. ढ़लकी पुत्री मगनाराम पत्नी वागाराम, जाति पटेल, निवासी ग्राम सतलाना खेड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.)
2. जमना पुत्री मगनाराम पत्नी हेमाराम, जाति पटेल, निवासी लूणी, जिला जोधपुर (राज.)
3. तहसीलदार भूमिधारी रोहट, जिला पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
रेस्पो. संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 21.07.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 117 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

व रेस्पो. संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट संख्या 01 व अपीलाण्ट संख्या 02 की माता श्रीमती शिवलीदेवी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ए 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध पुश्तैनी कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि ग्राम हीरावास तहसील रोहट जिला पाली के खसरा संख्या 03 रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 23 रकबा 109 बीघा 06 बिस्वा के पैतृक हकों के बंटवारे, घोषणा व निषेधाज्ञा से संबंधित सहायक कलक्टर रोहट के यहां प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद दिनांक 20.10.2010 को दर्ज किया गया एवं दिनांक 18.03.2011 को जरिये राजीनामा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर निर्णीत किया व तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 को पारित की गई। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 का दिनांक 14.05.2011 को प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पिटीशनर की अनुपस्थिति में, पिटीशनर को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 30.05.2011 को पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध मृतक शिवली के वारिसान द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई एवं उक्त निगरानी में बाद सुनवाई दिनांक 16.08.2011 को निर्णय पारित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2011 को विधिक रूप से दोषपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया गया एवं प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी रोहट को गुणवागुण पर विधि सम्मत आदेश बाबत् प्रति–प्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को पुनः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2012 को दर्ज किया व मूल वादी संख्या 02 शिवलीदेवी का देहान्त हो जाने से शिवली के वारिसान को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया एवं उक्त पत्रावली संख्या 54/2011 का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को एकपक्षीय सुनवाई में कर दिया, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6074/2017 वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.02.2018 को वादीगण का वाद जरिये उपशमन इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी शिवलीदेवी का देहान्त वर्ष 2011 में हो गया एवं वादिनी की तरफ से कायम मुकाम को आज दिन तक रेकर्ड पर नही लिया गया। तहसीलदार रोहट द्वारा प्रकरण सख्या 175/2010 के निर्णय दिनांक 22.05.2017 एवं प्रकरण संख्या 46/2012 निर्णय दिनांक 23.02.2018 के आधार पर नामान्तरकरण सख्या संख्या 117 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया जो काबिले खारिज है। साथ ही तहसीलदार द्वारा उपर्युक्त वर्णित न्यायालयों के निर्णय के मध्यनजर रखते हुए स्व संज्ञान से नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जबकि अगर रेस्पोडेण्ट स्वयं तहसीलदार के समक्ष धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश करता तब तहसीलदार द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार ने स्व संज्ञान से ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। अतः तहसीलदार रोहट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 117 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 18.05.2018 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश सहायक कलक्टर रोहट के न्यायालय आदेश 23.02.2018 की पालना में भरा गया है। अपीलाण्ट सहायक कलक्टर रोहट द्वारा पारित फैसला व डिक्री दिनांक 23.02.2018 को जब तक सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा देता तब तक उक्त अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपने तर्कों के समर्थन में 2005 (8) आर आर टी 774 न्यायिक नजीर भी प्रस्तुत की।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

उभयपक्षों की समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018, सहायक कलक्टर रोहट के प्रकरण संख्या 175/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 एवं प्रकरण संख्या 46/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 की पालना में पारित किया गया है। इससे यह सुस्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित निर्णयों की पालना में पारित किया गया है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायिक नजीर 2005 (8) आर आर टी 774 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 – धारा 84 विशेषाधिकारी के आदेश से भूमि अवाप्त की गई और आदेश की पालना में भूमि नगर सुधार न्यास के नाम नामान्तरित की – नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश को चुनौती दी किन्तु निचले न्यायालयों ने अपील खारिज की – निगरानी – नामान्तरकरण का मूल आधार भूमि अवाप्ति का आदेश है – भूमि अवाप्ति के आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता – निचले न्यायालयों के आदेश में विधिक अथवा क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है तथा यथावत रखा" अर्थात् तहसीलदार द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट के निर्णय दिनांक 22.05.2017 व 23.02.2018 की पालना में पारित किया गया है एवं जब तक उक्त निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही सहायक कलक्टर रोहट के आदेशों के क्रम में की गई है जिसमें हम किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं पाते है साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकृति के प्रकरण संख्या 30/2018 बअनवान भंवरलाल बनाम ढ़लकी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 के द्वारा अपील को खारिज किया है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य उपरोक्त वर्णित प्रकरण के समान ही है तो अब हम इस प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा पारित जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते साथ ही जैर विचाराधीन प्रकरण पर धारा 144 सी पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है साथ ही अपीलाण्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त करने अथवा किसी प्रकार की चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली